फारम सं0 562

आदेश पत्रक

सुजरा कु0 देवी
बनाम
रामाशीष राउत

देखे अभिलेख हस्तक, 1914 का नियम 129

आदेश पत्रक ता0 .... तक जिला धनबाद

एम.पी. वाद संख्या........619/17........ धारा....107 द.प्र.सं.....

तिथि	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
12.4.17	....केन्दुआडीह.... थाना अप्राथमिकी सं0 ..09/17.. प्राप्त हुआ। अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी स.अ.नि/अ.नि ने जाँच कर अपना प्रतिवेदन थाना प्रभारी ....केन्दुआडीह.... एवं आ. नि ...केन्दुआडीह... द्वारा अग्रसरित किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि ...दुकान का किराया नहीं देने... को लेकर स्थानिय परिशांति भंग हो सकती है। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी के कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं विपक्षी के विरूद्ध धारा 107 द.प्र.स की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को निदेश देता हूँ कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक ..8..5..17.......... को 10:30 बजे पुर्वाहन में उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नही लोक परिशांति बनाये रखने हेतु 5000/– रूपये का दो सम्प्रतिभुतियों के साथ बंधपत्र लिया जाय।	30/5/17
		8/6/17
		21/6/17
		7.7.17
		24/7/17
		9/8/17
		28/8/17
		8/9/17
		25/9/17
		12/10/17
		30/10/17
		10/11/17
		समाप्त
	लेखापित एवं शंसोधित	
	[signature] 17/04 अनुमंडल दण्डाधिकारी धनवाद	
	[signature] 17/04 अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद	

Digitally signed by PREM KUMAR TIWARY
Date: 2023.08.23 16:12:18 +05:30
Location: 192.168.29.44

Scanned with OKEN Scanner